



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022024-252339
CG-DL-E-24022024-252339

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]
No. 117]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2024

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (806).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) **संदर्भ: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (795)** दिनांक 06 फरवरी 2024 (प्रकाशित दिनांक 09 फरवरी 2024)

अनुसूची के अंग्रेजी संस्करण में क्रम संख्या 2 से 14, कॉलम (4) — 'Date of CA's approval' को '1 फरवरी 2024' से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या 2, 3 एवं 4, कॉलम (5) — '30 जून 2024' को '31 जुलाई 2024' से प्रतिस्थापित करें।

2) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (789) दिनांक 01 जनवरी 2024 (प्रकाशित दिनांक 22 जनवरी 2024)

अनुसूची के क्रम संख्या 13, कॉलम (2) — 'आई एस 19026 : 2023' को 'आई एस 18281 : 2023' से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या 21, कॉलम (2) — 'आई एस 19032 : 2023' को 'आई एस 18633 : 2023' से प्रतिस्थापित करें।

पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./771/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd February, 2024

Ref: HQ-PUB-BIS (806).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) **Ref no. HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (795) dated 06 February 2024** (Published on 09 February 2024)

Sl No. 2 to 14, column (4) of schedule — Substitute '01 February 2024' for 'Date of CA's approval'.

Sl No. 2, 3 and 4, column (5) of schedule — Substitute '31 July 2024' for '30 June 2024'.

2) **Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (789) dated 01 January 2024** (Published on 22 January 2024)

Sl No. 13, column (2) of schedule — Substitute 'IS 18281 : 2023' for 'IS 19026 : 2023'.

Sl No. 21, column (2) of schedule — Substitute 'IS 18633 : 2023' for 'IS 19032 : 2023'.

P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./771/2023-24]